



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02092023-248522
CG-DL-E-02092023-248522

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 212]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 2, 2023/भाद्र 11, 1945

No. 212]

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 2, 2023/BHADRA 11, 1945

राज्य सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2023

सं.आरएस.1/3/2023-एल.—राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 2 सितम्बर, 2023 को दिया गया निम्नलिखित आदेश जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है:-

"संविधान के अनुच्छेद 85 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतद्वारा राज्य सभा को सोमवार, 18 सितम्बर, 2023 को मध्याह्न पूर्व 11.00 बजे नई दिल्ली में समवेत होने के लिए आमंत्रित करती हूँ।

2 सितम्बर, 2023

ह./-

राष्ट्रपति"

पी. सी. मोदी, महासचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd September, 2023

No. RS. 1/3/2023-L.—The following Order by the President dated the 2nd September, 2023, is published for general information:-

“In exercise of the powers conferred upon me by clause (1) of article 85 of the Constitution, I hereby summon the Rajya Sabha to meet at New Delhi on Monday, the 18th September, 2023 at 11.00 A.M.

September 2, 2023

Sd/-
PRESIDENT”

P. C. MODY, Secy. General